दिः 01.04.2020 के आधार पर क्षेत्रिय प्रशिक्षण केन्द्र गाजीपुर सिटी वरियता सूची ।

पदनाम- Hostel Superintendent	स्वीकृत-पद 01	वास्तविक पद- 00
पदनाम- - Warden	स्वीकृत पद 01	वास्तविक पद- 00

क्रम सं.	भविष्य निधि सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यस्थल	जं.तिथि	नि. तिथि	पदोन्नति तिथि
01	16308852	कमलेन्द्र किशोर	अनुदेशक	ZRTI/GCT	02.07.66	01.04.89	05.06.18
02	15209MAS084	द्विवेश कुमार तिवारी	अनुदेशक	ZRTI/GCT	01.10.81	25.10.08	05.06.18
03	02655172	लवलेश कुमार राय	अनुदेशक	ZRTI/GCT	06.03.73	26.07.79	05.06.18
04	05540227	राजेश प्रसाद	अनुदेशक	ZRTI/GCT	10.12.60	05.04.91	10.07.18
05	50800701463	सुनिल कुमार सिंह	अनुदेशक	ZRTI/GCT	03.09.78	15.10.07	10.07.18
06	05550348	दिनेश कुमार	अनुदेशक	ZRTI/GCT	14.12.67	04.02.02	10.07.18
07	0513327	अजीत कुमार राय	अनुदेशक	ZRTI/GCT	26.01.75	01.01.05	10.07.18
08	05551079	अरूण कुमार पाल	अनुदेशक	ZRTI/GCT	04.07.74	08.07.03	10.07.18
09	05545511	बृजेश शुक्ला	अनुदेशक	ZRTI/GCT	20.09.76	09.12.96	10.07.18
10	06423139	रायराजवेन्द्र प्रसाद	अनुदेशक	ZRTI/GCT	10.02.66	11.02.92	10.07.18

स्वीकृत पद 04 वास्तविक पद : 02

क्रम सं.	भविष्य निधि सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यस्थल	जं.तिथि	नि. तिथि	पदोन्नति तिथि
01	10302591	बैजनाथ यादव	मु.वा. अनुदेशक	ZRTI/GCT	01.07.71	09.06.96	
02	07100553	पुर्णेन्दु कुमार	मु.वा. अनुदेशक	ZRTI/GCT	20.07.79	11.04.05	

01.04.2020 के आधार पर क्षेत्रिय प्रशिक्षण केन्द्र गाजीपुर सिटी वरियता सूची ।

स्वीकृत पद 02 वास्तविक पद : 02

क्रम सं.	भविष्य निधि सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यस्थल	जं.तिथि	नि. तिथि	पदोन्नति तिथि
01	13020055	यशवन्त चौहान	स्टोर खलासी	ZRTI/GCT	10.08.79	24.11.12	
02.	52000200553	सिद्धेश कुमार राय	स्टोर खलासी	ZRTI/GCT	10.07.88	14.01.16	

स्वीकृत पद 03 वास्तविक पद : 03

क्रम सं.	भविष्य निधि सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यस्थल	जं.तिथि	नि. तिथि	पदोन्नति तिथि
01	05537599	मोहन लाल मंडल	हॉस्टल चौकीदार	ZRTI/GCT	02.02.62	06.03.90	
02.	05547945	मुन्नी लाल	हॉस्टल चौकीदार	ZRTI/GCT	01.01.62	01.10.97	
03	06201366	राजू कुमार	हॉस्टल चौकीदार		25.08.87	06.09.06	

उपरोक्त वरीयता सूची में यदि किसी कर्मचारी को आपती हो तो वरीयता सूची प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते है अन्यथा इनके प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

कृते मरेप्र (का.)

प्रतिलिपि सचूनार्थ हेतु –

1. वमचाप्र / वमविप्र वारा.
2. संबंधित कर्मचारी / यानि / स्टेधी
3. मंउलमंत्री–नरमू / अजा.अजजा.अपिजा एसोशिएसन वारा.